



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238022
CG-DL-E-10082022-238022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]
No. 548]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आयकर

सा.का.नि. 622 (अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (क) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है। अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त आयकर (चोबिसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- आयकर नियम 1961 में नियम 17क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“नियम 17कक खाता बही तथा अन्य दस्तावेज रखना तथा संरक्षित करना.— (1) प्रत्येक निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्थान या कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्थान को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (क) या अधिनियम की धारा 12क

की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन निम्नलिखित खाता बही तथा अन्य दस्तावेज रखना तथा संरक्षित करना अपेक्षित है, अर्थात्:-

(क) खाता बही जिसमें ये सम्मिलित है अर्थात् :-

- (i) कैश बुक;
 - (ii) लेजर;
 - (iii) जर्नल;
 - (iv) बिल की प्रतियां, चाहे मशीन संख्यांकित अन्यथा क्रमिक संख्यांकित, चाहे ऐसे बिल निर्धारिती द्वारा जारी किए गए हो, तथा प्रतियां या निर्धारिती द्वारा जारी मशीन संख्यांकित या अन्यथा क्रमिक संख्यांकित रसीदों का प्रतिपण;
 - (v) व्यक्ति को जहां कहीं भी जारी किए गए मूल बिल तथा व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान संबंधी रसीदें;
 - (vi) व्यक्ति द्वारा संपन्न किए गए संव्यवहार एवं मामलों की दशा का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के क्रम में किसी अन्य प्रकार की बही जिसे संरक्षित करना अपेक्षित हो;
- (ख) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(4) में निर्दिष्ट व्यापारिक उपक्रमों के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट खाता बही;
- (ग) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यापारिक उपक्रम के अलावा निर्धारिती द्वारा किए जा रहे व्यापार के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट खाता बही ;

(घ) संरक्षण हेतु अन्य दस्तावेज,—

- (i) व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे संस्थान व परियोजनाओं का रिकार्ड, जिसमें उनका नाम पता एवं उद्देश्य का विवरण सम्मिलित है;
- (ii) पूर्व वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का रिकार्ड, के संबंध में,—
 - (I) स्वैच्छिक अंशदान जिसमें दाता का नाम, पता स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) तथा आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) का विवरण सम्मिलित है;
 - (II) अधिनियम की धारा 11 के अधीन निर्दिष्ट न्यास के अधीन संपत्ति से आय, ऐसी संपत्तियों की सूची से साथ;
 - (III) निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थान मद (I) व (II) में निर्दिष्ट अंशदान के अलावा;
- (iii) पूर्व वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय में से निम्नलिखित रिकार्ड अर्थात्:-
 - (I) भारत में आय का आवेदन, आवेदन की रकम के अंतर्विष्ट व्यौरे, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको राशि का क्रेडिट या संदाय किया गया है तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है;
 - (II) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में या अधिनियम की धारा 112कख के अधीन अन्य न्यास या संस्थान में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य

- चिकित्सीय संस्थान को भुगतान या क्रेडिट की गई राशि जिसमें उनका नाम, पता स्थायी खाता संख्या तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है, का विवरण सम्मिलित है;
- (III) भारत के बाहर आय का आवेदन जिसमें व्यक्ति राशि आवेदन के नाम व पता जिसे क्रेडिट या भुगतान किया जा रहा है तथा उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है, का विवरण आदि सम्मिलित है;
- (IV) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) में निर्दिष्ट आय का मानित आवेदन जिसमें ऐसे मानित उद्देश्य करने का कारण का विवरण भी सम्मिलित है;
- (V) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 या अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संचित या पृथक आय जिसे प्रयुक्त नहीं किया गया या प्रयुक्त माना गया, उस उद्देश्य के लिए जिसमें ऐसी आय संचित की गई, का विवरण सम्मिलित है;
- (VI) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप में निवेशित या जमा धन;
- (VII) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप के अलावा निवेशित या जमा धन;
- (iv) अन्य पूर्व वर्ष पिछले चालू पूर्ववर्ती वर्ष में व्यक्ति की आय से निम्नलिखित रिकार्ड अर्थात् :-
- (I) संचित या पृथक आय से आवेदन जिसमें संचयन वर्ष आवेदन राशि पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे संचयन से व्यक्ति का नाम पता जिसे क्रेडिट या भुगतान किया गया है तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है का विवरण सम्मिलित है;
- (II) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) में निर्दिष्ट आय का मानित आवेदन जिसमें ऐसे मानित उद्देश्य करने का कारण का विवरण भी सम्मिलित है पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे मानित आवेदन राशि व्यक्ति का नाम या पता जिसे भुगतान व क्रेडिट किया जाना है तथा वह उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (III) मद (I) और मद (II) में निर्दिष्ट आवेदन के अलावा आवेदन संचित आय से बाहर आवेदन जिसमें संचयन के वर्ष के व्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पूर्व वर्ष के दौरान संचयन आय का , व्यक्ति का नाम पता जिसे क्रेडिट या भुगतान किया गया है तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है का विवरण सम्मिलित है;
- (IV) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप में निवेशित या जमा धन;
- (V) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप के अलावा विनिवेशित या जमा धन;
- (v) किए गए स्वैच्छिक अंशदान का रिकार्ड निर्दिष्ट दिशा-निदेश के साथ कि वे संग्रह का भाग बनाएंगे, के संबंध में-
- (I) पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त योगदान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) तथा आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) का विवरण सम्मिलित है;
- (II) मद (I) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक अंशदान का आवेदन जिसमें अंशदान की राशि, व्यक्ति का नाम व पता जिसे भुगतान व क्रेडिट किया जाना है तथा उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है;

- (III) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) या उपखंड (viक) या उपखंड (vi) या उपखंड (v) या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी अन्य निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थान को भुगतान क्रेडिट की गई राशि या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्री अन्य ट्रस्ट या संस्थान जिसमें उनका नाम, पता स्थायी खाता संख्या तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है का विवरण सम्मिलित है;
- (IV) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूप तथा मोड जिसमें प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान, पूर्व वर्ष के दौरान जमा या निवेशित किया गया;
- (V) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप के अतिरिक्त निवेशित या जमा धन, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसा स्वैच्छिक अंशदान निवेशित या जमा किया गया हो;
- (VI) पिछले वर्ष से पहले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ ऐसे स्वैच्छिक अंशदान का आवेदन, जिसमें आवेदन की राशि का विवरण सम्मिलित है, ऐसे मानित आवेदन राशि व्यक्ति का नाम या पता जिसे भुगतान व क्रेडिट किया जाना है तथा उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (VII) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) या उपखंड (viक) या उपखंड (vi) या उपखंड (v) या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी अन्य निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थान को भुगतान क्रेडिट की गई राशि या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्री अन्य ट्रस्ट या संस्थान जिसमें उनका नाम, पता स्थायी खाता संख्या तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है का विवरण सम्मिलित है;
- (VIII) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(5) में निर्दिष्ट प्ररूप तथा मोड जिसमें ऐसे स्वैच्छिक अंशदान पूर्व वर्ष के दौरान, पिछले पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त हुए है और उन्हें जमा या निवेशित किया गया है;
- (IX) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूप तथा मोड के अलावा गत वर्ष पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान में धन जमा या निवेशित किया गया है;
- (X) ऐसे स्वैच्छिक अंशदान में जमा या निवेशित राशि (जिसे अन्य पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त किया गया था और आवेदन के अनुसार दावा नहीं किया गया) धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूप एवं मोड में ऐसे स्वैच्छिक अंशदान जमा या निवेशित का विवरण भी सम्मिलित रहे;
- (vi) धारा 80छ की उपधारा(2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के नवीकरण या मरम्मत के प्रयोजनार्थ प्राप्त अंशदान का रिकार्ड जिसे धारा 10 के खंड 23(ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1क या धारा 11 की उपधारा(1) के स्पष्टीकरण 3क में निर्दिष्ट संग्रह की तरह माना गया है के संबंध में,-
- (I) पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त योगदान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) तथा आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) का विवरण सम्मिलित है;

- (II) पूर्व वर्ष के पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान जिसे संग्रह की तरह माना गया जिसमें दाता का ना व पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) तथा आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण सम्मिलित है;
- (III) मद (I) एवं मद (II) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक अंशदान का आवेदन जिसमें अंशदान की राशि, व्यक्ति का नाम व पता जिसे भुगतान व क्रेडिट किया जाना है तथा उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (IV) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) या उपखंड (v) या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी अन्य निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थान को भुगतान, क्रेडिट की गई राशि या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्री अन्य ट्रस्ट या संस्थान जिसमें उनका नाम, पता स्थायी खाता संख्या तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है, का विवरण सम्मिलित है;
- (V) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(5) में निर्दिष्ट प्ररूप तथा मोड ऐसे संग्रह में, पूर्व वर्ष के दौरान जमा या निवेशित किया गया;
- (VI) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट मोड व प्ररूप के अलावा निवेशित या जमा धन, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसा स्वैच्छिक अंशदान निवेशित या जमा किया गया हो;
- (VII) ऐसे संग्रह से आवेदन प्राप्त पिछले वर्ष से पहले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ ऐसे स्वैच्छिक अंशदान का आवेदन, जिसमें आवेदन की राशि का विवरण सम्मिलित है, ऐसे मानित आवेदन राशि व्यक्ति का नाम या पता जिसे भुगतान व क्रेडिट किया जाना है तथा उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (VIII) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) या उपखंड (v) या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी कोष में भुगतान या जमा की गई राशि, अन्य निधि या संस्थान या न्यास या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थान को भुगतान, क्रेडिट की गई राशि या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्री अन्य ट्रस्ट या संस्थान जिसमें उनका नाम, पता स्थायी खाता संख्या तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है, का विवरण सम्मिलित है;
- (IX) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(5) में निर्दिष्ट प्ररूप तथा मोड जिसमें ऐसे संग्रह पूर्व वर्ष पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त हुए हैं, प्ररूप तथा मोड में धन जमा या निवेशित, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के अलावा ऐसे संग्रह जिसमें पूर्व वर्ष पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जमा या निवेशित किए गए;
- (vii) ऋण एवं उधार का रिकार्ड,-
- (I) ऋण या उधार की राशि व तारीख के संबंध में अंतर्विष्ट जानकारी, वापिस भुगतान की राशि व तारीख, व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया, ऋणदाता का पता, स्थायी खाता संख्या तथा आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) ;

- (II) ऐसे ऋण या उधार से आवेदन जिसमें अंतर्विष्ट राशि का विवरण, व्यक्ति का नाम व पता जिसे किसी प्रकार का भुगतान या क्रेडिट किया गया तथा उद्देश्य जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है;
- (III) ऐसे पूर्व वर्ष के पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ऋण या उधार से प्राप्त आवेदन जिसमें अंतर्विष्ट राशि का विवरण, व्यक्ति का नाम व पता जिसे अन्य क्रेडिट या भुगतान किया गया;
- (IV) ऐसे ऋण या उधार का पूर्व वर्ष के दौरान वापसी भुगतान(जिसे पिछले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त किया गया तथा आवेदनानुसार दावा नहीं किया गया);

(viii) निर्धारिती द्वारा धारित संपत्तियों का रिकार्ड, निम्नलिखित से संबंध में अर्थात्,-

- (I) अचल संपत्ति जिसमें अंतर्विष्ट विवरण सम्मिलित हो,
 - (i) संपत्तियों की प्रकृति तथा पता, आस्ति के अधिग्रहण की लागत, आस्ति के रजिस्ट्री दस्तावेज;
 - (ii) ऐसी संपत्तियों का अंतरण, नई पूंजीगत आस्ति के अधिग्रहण में उपयोग किया गया शुद्ध प्रतिफल;
- (II) चल संपत्ति जिसमें आस्ति की प्रकृति तथा अधिग्रहण की लागत का विवरण;

(ix) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के निर्दिष्ट निर्दिष्ट व्यक्तियों का रिकार्ड,-

- (I) उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या तथा आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण सम्मिलित है;
- (II) निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्थान या कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्थान को अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ किया गया संव्यवहार जिसमें ऐसे संव्यवहार की राशि तथा तारीख, प्रकृति तथा इस बात की पुष्टि के लिए दस्तावेज कि ऐसे संव्यवहार निर्दिष्ट व्यक्ति के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित के लिए नहीं है;

(x) अन्य दस्तावेज जिसमें अंतर्विष्ट सुसंगत जानकारी सम्मिलित है।

2. खाता बही तथा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जिन्हें लिखित रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में या आंकड़ों का प्रिन्ट आउट जिसे इलैक्ट्रॉनिक रूप या डिजिटल रूप या अन्य किसी रूप में जैसे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस में रखा जाए।

3. उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज ट्रस्ट या संस्थान द्वारा इसके रजिस्ट्री कार्यालय में रखे व संरक्षित किए जाएंगे:

परंतु उपनियम (1) में निर्दिष्ट समस्त खाता बही तथा अन्य दस्तावेज भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जाएंगे जैसा कि प्रबंधन संकल्प द्वारा निर्णय ले सकते हैं और जब एक बार संकल्प पारित हो गया ट्रस्ट या संस्थान सात दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को लिखित में उस स्थान का पता सूचित करेगा और ऐसी सूचना उस व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित की जाएगी जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन आयकर विवरणी सत्यापित करने हेतु अधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती को प्रयोज्य है।

4. उपनियम(1) में निर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से 10 वर्ष की अवधि के लिए रखें तथा संरक्षित किए जाएंगे **** परंतु जब किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के अधीन फिर से खोले गए हैं, अधिनियम की धारा 149 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर खाता बही तथा अन्य दस्तावेज जो कि फिर से खोलने

के समय रखे तथा संरक्षित किए गए हैं, उन्हें तब तक रखा व संरक्षित किया जाएगा जब तक कि फिर से खोला गया निर्धारण समाप्त नहीं हो जाता।”

[अधिसूचना सं. 94/2022/फा. सं.370142/34/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा-3, उप-धारा (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 610(अ) तारीख 1 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (24th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 17A the following rule shall be inserted, namely: -

“17AA. Books of account and other documents to be kept and maintained.—(1) Every fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to keep and maintain books of account and other documents under clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 of the Act or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act shall keep and maintain the following, namely:-

(a) books of account, including the following, namely: -

(i) cash book;

(ii) ledger;

(iii) journal;

(iv) copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee;

(v) original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person;

(vi) any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected;

(b) books of account, as referred in clause (a), for business undertaking referred in sub-section (4) of section 11 of the Act;

(c) books of account, as referred in clause (a), for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred in sub-section (4) of section 11 of the Act;

(d) other documents for maintaining, -

- (i) record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives;
- (ii) record of income of the person during the previous year, in respect of, -
 - (I) voluntary contribution containing details of name of the donor, address, permanent account number (if available) and Aadhaar number (if available);
 - (II) income from property held under trust referred to under section 11 of the Act along with list of such properties;
 - (III) income of fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution other than the contribution referred in items (I) and (II);
- (iii) record of the following, out of the income of the person during the previous year, namely: -
 - (I) application of income, in India, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (II) amount credited or paid to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or other trust or institution registered under section 12AB of the Act, containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;
 - (III) application of income outside India containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (IV) deemed application of income referred in clause (2) of *Explanation 1* of sub-section (1) of section 11 of the Act containing details of the reason for availing such deemed application;
 - (V) income accumulated or set apart as per the provisions of the *Explanation 3* to the third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of the Act which has not been applied or deemed to be applied containing details of the purpose for which such income has been accumulated;
 - (VI) money invested or deposited in the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act;
 - (VII) money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act;
- (iv) record of the following, out of the income of the person of any previous year preceding the current previous year, namely: -
 - (I) application out of the income accumulated or set apart containing details of year of accumulation, amount of application during the previous year out of such accumulation, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (II) application out of the deemed application of income referred to in clause (2) of *Explanation 1* of sub-section (1) of section 11 of the Act, for any preceding previous year, containing details of year of deemed application, amount of application during the previous year out of such deemed application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (III) application, other than the application referred in item (I) and item (II), out of income accumulated during any preceding previous year containing details of year of accumulation, amount of application during the previous year out of such accumulation, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (IV) money invested or deposited in the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act;
 - (V) money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act;

- (v) record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, in respect of-
- (I) the contribution received during the previous year containing details of name of the donor, address, permanent account number (if available) and Aadhaar number (if available);
 - (II) application out of such voluntary contribution referred to in item (I) containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (III) amount credited or paid towards corpus to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or other trust or institution registered under section 12AB of the Act, out of such voluntary contribution received during the previous year containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;
 - (IV) the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such voluntary contribution, received during the previous year, is invested or deposited;
 - (V) money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such voluntary contribution, received during the previous year, is invested or deposited;
 - (VI) application out of such voluntary contribution, received during any previous year preceding the previous year, containing details of the amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (VII) amount credited or paid towards corpus to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or other trust or institution registered under section 12AB of the Act, out of such voluntary contribution received during any year preceding the previous year, containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;
 - (VIII) the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such voluntary contribution, received during any previous year preceding the previous year, is invested or deposited;
 - (IX) money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such voluntary contribution, received during any previous year preceding the previous year, is invested or deposited;
 - (X) amount invested or deposited back in to such voluntary contribution (which was applied during any preceding previous year and not claimed as application) including details of the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 in which such voluntary contribution is invested or deposited;
- (vi) record of contribution received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G which is being treated as corpus as referred in *Explanation 1A* to the third proviso to clause (23C) of section 10 or *Explanation 3A* to sub-section (1) of section 11, in respect of,-
- (I) the contribution received during the previous year containing details of name of the donor, address, permanent account number (if available) and Aadhaar number (if available);
 - (II) contribution received during any previous year preceding the previous year, treated as corpus during the previous year, containing details of name of the donor, address, permanent account number (if available) and Aadhaar number (if available);
 - (III) application out of such voluntary contribution referred to in item (I) and item (II) containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
 - (IV) amount credited or paid towards corpus to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-

- clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or other trust or institution registered under section 12AB of the Act, out of such voluntary contribution received during the previous year containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;
- (V) the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such corpus, received during the previous year, is invested or deposited;
- (VI) money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such corpus, received during the previous year, is invested or deposited;
- (VII) application out of such corpus, received during any previous year preceding the previous year, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
- (VIII) amount credited or paid to towards corpus any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or other trust or institution registered under section 12AB of the Act, out of such voluntary contribution received during any year preceding the previous year, containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;
- (IX) the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such corpus, received during any previous year preceding the previous year, is invested or deposited; money invested or deposited in the forms and modes other than those specified in sub-section (5) of section 11 of the Act in which such corpus, received during any previous year preceding the previous year, is invested or deposited;
- (vii) record of loans and borrowings, -
- (I) containing information regarding amount and date of loan or borrowing, amount and date of repayment, name of the person from whom loan taken, address of lender, permanent account number and Aadhaar number(if available) of the lender;
- (II) application out of such loan or borrowing containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;
- (III) application out of such loan or borrowing, received during any previous year preceding the previous year, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made;
- (IV) repayment of such loan or borrowing (which was applied during any preceding previous year and not claimed as application) during the previous year;
- (viii) record of properties held by the assessee, with respect to the following, namely, -
- (I) immovable properties containing details of,
- (i) nature, address of the properties, cost of acquisition of the asset, registration documents of the asset;
- (ii) transfer of such properties, the net consideration utilised in acquiring the new capital asset;
- (II) movable properties including details of the nature and cost of acquisition of the asset;
- (ix) record of specified persons, as referred to in sub-section (3) of section 13 of the Act, -
- (I) containing details of their name, address, permanent account number and Aadhaar number (if available);
- (II) transactions undertaken by the fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution with specified persons as referred to in sub-section (3) of section 13 of the Act containing details of date and amount of such transaction, nature of the transaction and documents to the effect that such transaction is, directly or indirectly, not for the benefit of such specified person;

(x) any other documents containing any other relevant information.

(2) The books of accounts and other documents specified in sub-rule (1) may be kept in written form or in electronic form or in digital form or as print-outs of data stored in electronic form or in digital form or any other form of electromagnetic data storage device.

(3) The books of account and other documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained by the fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution at its registered office:

Provided that all or any of the books of account and other documents as referred to in sub-rule (1) may be kept at such other place in India as the management may decide by way of a resolution and where such a resolution is passed, the fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution shall, within seven days thereof, intimate the jurisdictional Assessing Officer in writing giving the full address of that other place and such intimation shall be duly signed and verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140 of the Act, as applicable to the assessee.

(4) The books of account and other documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained for a period of ten years from the end of the relevant assessment year:

Provided that where the assessment in relation to any assessment year has been reopened under section 147 of the Act within the period specified in section 149 of the Act, the books of account and other documents which were kept and maintained at the time of reopening of the assessment shall continue to be so kept and maintained till the assessment so reopened has become final.”.

[Notification No. 94/2022/ F. No. 370142/34/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 610 dated 1st August, 2022.